



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238892
CG-DL-E-16092022-238892

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4168]
No. 4168]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2022/भाद्र 25, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2022/BHADRA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

का.आ. 4352(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
रारा-119ए	बिहार राज्य में सुआरा (सासाराम) के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गरहनी, पातर (आरा) को जोड़ने वाला और पातर (आरा) के निकट से प्रारंभ होकर आसनी (आरा) के निकट रारा-319 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाले स्पर सहित सादिसोपुर (पटना) के निकट रारा-131जी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	बिहार राज्य में समग्र रारा

रारा-119डी	बिहार राज्य में अमास के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामनगर, कच्ची दरगाह और कल्याणपुर (हाजीपुर), ताजपुर को जोड़ने वाला तथा बेला नेवादा (दरभंगा) के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	बिहार राज्य में (19 किमी के कच्ची दरगाह से कल्याणपुर खंड को छोड़कर) समग्र रारा
------------	--	--

[फा. सं. एनएच-14013/13/2022-पी एंड एम (पार्ट)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2022

S.O. 4352(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-119A	The highway starting from its junction with NH-19 near Suara (Sasaram) connecting Garhani, Patar (Arrah) and terminating at its junction with NH -131G near Sadisopur (Patna) including spur starting near Patar (Arrah) and terminating at its junction with NH-319 near Asni (Arrah) in the state of Bihar.	Entire NH in the state of BIHAR
NH-119D	The highway starting from its junction with NH-19 near Amas connecting Ramnagar, Kachhi Dargah and Kalyanpur (Hajipur), Tajpur and terminating at its junction with NH-27 near Bela Nawada (Darbhanga) in the State of Bihar.	Entire NH (Except 19km of Kachchi Dargah to Kalyanpur section) in the state of BIHAR

[F. No. NH-14013/13/2022-P&M (Part)]

RAJESH GUPTA, Director